LIST OF AGENTS FOR 1967.

1. Messrs. Etwari Sahu & Sons, Mahendru, Patna—6.
2. Messrs. Motilal Banarsi Das, Book-sellers, Bankipur, Patna.
3. Messrs. Choudhary & Sons, Law Book-sellers, Mahendru, Patna-6.
4. Messrs. Western Law House, Station Road, Patna.
5. Messrs. Paper Stationery Stores, D. N. Singh Road, Bhagalpur-2.
6. Messrs. Pahuja Brothers, Law Book-seller and Publishers Patna-6
7. Messrs. Laxmi Trading Co., Padri-ki-Haveli, Patna City.
8. Messrs. Bais Vijaya Press, Jail Road, Arrah.
9. Messrs. The Amalgamated Press, 41, Hamam Street, P. Box No. 325, Bombay-1 br.
10. Messrs. Bengal Law House, Book-sellers and Publishers, Chawhatta, Patna.
11. Messrs. Rajkamal Prakashan(Private) Ltd., Patna-6.
12. Messrs. Pustak Mahal, Ranchi.

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) राशि का अभाव एवं विद्यालयों द्वारा इसकी अलग से मांग नहीं होने के कारण इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकी। सचिव, माध्यमिक शिक्षा पर्षद्, बिहार को आदेश दिया गया है कि इस संबंध में आवश्यकता यदि हो, तो प्रस्ताव विभाग को भेजें।

शिक्षकों के कटे वेतन की पूर्ति

प्र-८९। श्री सिया बिहारी शरण—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहायता प्राप्त निम्न माध्यमिक विद्यालयों (एडेड मिडिल स्कूल) को जिनकी स्वीकृति तिथि ३१ मार्च १९५६ तक मिल चुकी है उन्हें सरकार द्वारा वर्द्धित वेतन, अन्तर वेतन, महंगाई भत्ता एवं प्रधानाध्यापक भत्ता मिलता रहा है;

(२) क्या यह बात सही है कि सरकार नवीन वेतन सुधार १ अप्रील १९६५ से लागू करते समय उपरोक्त विद्यालयों के शिक्षकों को तिथि ३१ मार्च १९५६ से १ अप्रील १९६५ तक दी गयी वार्षिक वृद्धि को काटकर भुगतान कर रही है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उन शिक्षकों को जिनका वेतन कट गया है उसकी पूर्ति किस प्रकार करना चाहती है?

मंत्री, शिक्षा विभाग—(१) उत्तर इस प्रकार है। १ अप्रील १९५६ से स्वीकृत नवीन सुविधाएं ३१ मार्च १९५६ तक स्वीकृत विद्यालयों को दी जाती हैं।

(२) उत्तर इस प्रकार है। आदेश संख्या २३००, दिनांक २४ मई १९६६ के अन्तर्गत प्रारम्भिक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षित हुआ है। उपर्युक्त आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ३१ मार्च १९६६ तक प्रस्वीकृत विद्यालय के शिक्षकों को ३१ मार्च १९५६ तक प्रचलित वेतनमान एवं पुनरीक्षित वेतनमान में देय रकम के अन्तर की रकम सरकार द्वारा देय है। ३१ मार्च १९५६ से १ अप्रील १९६५ तक दी गयी वार्षिक वृद्धि से काट कर वेतन दे देने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) इसका उत्तर प्रश्न खंड (२) के उत्तर में सन्निहित है।

छात्रवृत्ति की रकम का भुगतान

प्र-१७७। श्री सिया बिहारी शरण—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री शिवनाथ प्रसाद को बरौली उच्च विद्यालय, सारण से १९६६ की वार्षिक प्रवेशिका परीक्षा में जिला योग्यता छात्रवृत्ति (डिस्ट्रिक्ट मेरिट स्कौलरशिप) मिली थी;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद, राजेन्द्र कालेज, छपरा में प्राकविज्ञान में १९६६-६७ में विद्यार्थी थे;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद को छात्रवृत्ति की रकम का भुगतान नहीं किया गया है; यदि हां, तो क्यों?

मंत्री, शिक्षा विभाग—(१) जी नहीं।

(२) सरकार को इसकी सूचना नहीं है।
(३) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजवल्लभ सहाय, अवर प्रमंडल पदाधिकारी के बकाये वेतन का भुगतान

त-२४। श्री सिया बिहारी शरण—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री राजबल्लभ सहाय, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, मधुबनी, दरभंगा को ५ नवम्बर १९६० को अवकाश प्राप्त करना था जिनका कार्यकाल विभाग ने तार द्वारा बढ़ा दिया था;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री सहाय ४ सितम्बर १९६२ तक उस पद पर कार्य करते रहे;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री सहाय के आवेदन-पत्र देने के बावजूद भी ६ नवम्बर १९६० से ४ दिसम्बर १९६२ तक का वेतन अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो श्री सहाय को तात्कालिक भुगतान के लिये सरकार कौन-सा कदम उठाने जा रही है?

मंत्री, लोक-निर्माण विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) और (४) दिनांक ५ नवम्बर १९६० से ४ सितम्बर १९६२ तक पुनर्नियुक्ति की शर्तें एवं वेतन देने का आदेश इस विभाग द्वारा जनवरी, १९६३ में ही निर्गत कर महालेखापाल को एवं श्री सहाय को सूचित कर दिया गया था। महालेखापाल राजपत्रित पदाधिकारी को वेतन भुगतान के लिये सीधे उन्हीं के पास वेतन-पत्र निर्गत करते हैं। यदि श्री सहाय को सरकारी आदेश के बिना वेतन नहीं मिल रहा था तो उन्हें सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिये था। परन्तु उपलब्ध कागजों से मार्च, १९६७ के पहले का ऐसा कोई पत्र नहीं मिलता है। महालेखापाल को यह अनुरोध किया गया है कि यदि वेतन पत्र निर्गत नहीं हुआ हो तो अभी भी शीघ्र कर दें। आशा है उनकी असुविधा शीघ्र समाप्त की जायगी।

सड़क के किनारे की दूकानों को हटाना

सामु०-२२। श्री सिया बिहारी शरण—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिले के सिवान-बसंतपुर रोड के तारवारा चौमुहानी पर सारन जिला परिषद् की सहायता से एक पक्का कुआं बनवाया गया था;

(२) क्या यह बात सही है कि व्यवसायियों ने उक्त कूएं को दूकानों से घेर कर यात्रियों की नजर से ओझल कर उसकी हालत बदतर कर दी है, जिससे पेयजल की दिक्कतें यात्रियों को उठानी पड़ती हैं,